कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद (छ.ग.)

पंजीयन क्रंमाक–145 / REG. / दुर्ग / दिनांक 01.04.2002

//जेसीबी, हाईड्रोलिक ट्रेक्टर ट्राली के माध्यम से राख एवं प्रेसमड शिंफटिंग, रापा/डोजर ट्रेक्टर के माध्यम से बगास फिंडिग का कार्य कराने हेतु //

वर्ष 2020–21

तकनीकी भाग– 01 व 02

द्वितीय ई–निविदा क्रं. 68608, दिनांक 28/10/2020

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्यादित–बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क– 1000/–रू.

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

द्वितीय ई–निविदा प्रपत्र

निविदा क्रंमाक/68608/2020–21 **दिनांक 28/10/2020**

कारखाने के पेराई सत्र 2020–21 हेतु निम्नलिखित कार्य कराने के लिए द्वितीय ई– निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1	कारखाना के आरबीसी एवं समस्त स्थान से बगास को ट्रेक्टर रापा (डीजल सहित) एवं मजदूर से शिफ्टिंग एवं फिडिंग का कार्य करना, लकड़ी फिडिंग का कार्य करना।
2	कारखाना के बॉयलर के समस्त स्थान के राख को शिफ्टिंग ट्रेक्टर ट्राली/हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) एवं मजदूर के माध्यम से कारखाना के शेड से बाहर राख उठाव एवं शिफ्टिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। प्रतिशिफ्ट राख का उठाव करना अनिवार्य होगा।
3	प्रेसमड शिफ्टिंग ट्रेक्टर/हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) एवं मजदूर के माध्यम से उठाव एवं शिफ्टिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। स्पॉट पर प्रेसमड स्टॉक जाम नहीं होना चाहिए।
4	जेसीबी (डीजल सहित) द्वारा कारखाना के केनयार्ड में एकत्रित गन्ना केन कैरियर पर डालना एवं गाड़ी खाली करना तथा अन्य कार्य कारखाना प्रबंधन के निर्देशानुसार जेसीबी द्वारा पूर्ण करना होगा, 24 घंटे जेसीबी कारखाना में उपलब्ध रहेगा। केन केरियर में जाम की स्थिति पैदा न हो।

पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम : श्री/मेसर्स ....

1. पता : ....

....

2. ई–निविदा हेतु इच्छुक फर्मो /निविदाकार द्वारा भाग लेने के लिए ई–टेण्डर के वेबसाईट में जाकर ई–निविदा हेतु फार्म राशि 1311/– रू. (1000/–रू. + 311/–रू. चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in) से फार्म Upload किया जाना है।
3. ई–निविदा फार्म दिनांक **23/10/2020 से 28/10/2020** को संपूर्ण वांछित एवं सत्यापित दस्तावेजों के साथ प्रातः 10:30 बजे तक शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in) **मे अपलोड कर सकते है।**
4. ई–निविदा निदांक **28/10/2020 को प्रातः 11:00 बजे** पश्चात् क्रिय समिति/निविदाकारों के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
5. ई.एम.डी. राशि – निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई.एम.डी. हेतु राशि रूपये 50,000/–(पचास हजार रूपये मात्र) कारखाने के खाते में RTGS के माध्यम से खाता क्रंमाक **31360100006799**, IFSC Code- **BARB0BALODX** बैक ऑफ बडौदा बालोद में **दंतेश्वरी मैया**

सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के नाम से जमा करना होगा। RTGS/NEFT के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नही होने पर आपकी निविदा निरस्त मानी जाएगी।

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित–बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद (छ.ग.)

द्वितीय ई–निविदा प्रपत्र

Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

निविदा क्रंमाक / 68608 / 2020–21 **दिनांक 28 / 10 / 2020**

कारखाने के पेराई सत्र 2020–21 हेतु निम्नलिखित कार्य कराने के लिए द्वितीय ई– निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1	कारखाना के आरबीसी एवं समस्त स्थान से बगास को ट्रेक्टर रापा (डीजल सहित) एवं मजदूर से शिफ्टिंग एवं फिडिंग का कार्य करना, लकड़ी फिडिंग का कार्य करना।
2	कारखाना के बॉयलर के समस्त स्थान के राख को शिफ्टिंग ट्रेक्टर ट्राली / हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) एवं मजदूर के माध्यम से कारखाना के शेड से बाहर राख उठाव एवं शिफ्टिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। प्रतिशिफ्ट राख का उठाव करना अनिवार्य होगा।
3	प्रेसमड शिफ्टिंग ट्रेक्टर / हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) एवं मजदूर के माध्यम से उठाव एवं शिफ्टिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। स्पॉट पर प्रेसमड स्टॉक जाम नहीं होना चाहिए।
4	जेसीबी (डीजल सहित) द्वारा कारखाना के केनयार्ड में एकत्रित गन्ना केन कैरियर पर डालना एवं गाड़ी खाली करना तथा अन्य कार्य कारखाना प्रबंधन के निर्देशानुसार जेसीबी द्वारा पूर्ण करना होगा, 24 घंटे जेसीबी कारखाना में उपलब्ध रहेगा। केन केरियर में जाम की स्थिति पैदा न हो।

ई–निविदा हेतु कार्य करने के इच्छुक निविदाकार / फर्म निविदा में भाग लेने के लिए http://eproc.cgstate.gov.in/ पर निविदाओं की अन्य सभी शर्त और योग्यता के लिए मानदंड आदि को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किया गया है।

1. ठेकेदार / फार्म (V) प्राप्त व्यक्ति फर्म का नाम ....

2. पता ....

....

....

3. मोबाइल नंबर ....

4. ई–मेल आई.डी. ....

5. जी.एस.टी. नंबर ....
(छायाप्रति अपलोड करें)

6. फर्म का पैनकार्ड नंबर ....
(छायाप्रति अपलोड करें)

7. बैंक का नाम ....

8. खाता क्रंमाक ....

9. ई.एम.डी. जमा राशि .... शब्दों में ....

10. आरटीजीएस नंबर एवं बैक ....

11. कारखाने के किस खाते मे जमा ....

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंध की नियम एवं शर्तें–

1. निविदा प्रपत्र तीन लिफाफा में जमा करना अनिवार्य है। ई.एम.डी. संबंधी बिड – एक, तकीनीकी बिड– दो एवं व्यावसायिक बिड– तीन ।
2. निविदाकार को तकनीकी बिड– दो के साथ जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नंबर की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. ई–निविदा तकनीकी बिड–2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को अपलोड किया जाना होगा एवं व्यावसायिक बिड–3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. कारखाने से संबंधित कार्य का दर जी.एस.टी रहित दिया जाना होगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा एवं जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कारखाना द्वारा जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नही मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।
5. जी.एस.टी. के अतिरिक्त अन्य कर का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
6. नियमानुसार टेक्स आदि की कटौती की जावेगी।
7. उक्त कार्य में लगे मजदूरों की लिस्ट शिफ्ट वार प्रत्येक दिन टाईम ऑफिस में संबंधित अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
8. कारखाना में कार्यरत मजदूरों का श्रम विभाग के नियमानुसार बीमा होना अनिवार्य है, यदि किसी दुर्घटना में मजदूर को कोई क्षति होती है तो ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगें, कारखाना प्रबंधन इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
9. श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण, परिचय पत्र (आई. कार्ड), यूनिफार्म/ड्रेस इत्यादि प्रदाय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
10. बगास को प्वाईन्ट से हटाना, बायलर हेतु बगास फिडिंग कार्य, राख शिफ्टिंग एवं प्रेसमड शिफ्टिंग कार्य में लगने वाले डोजर ट्रेक्टर, ट्रेक्टर हाइड्रोलिक ट्राली, 24 घंटे कारखाना में उपलब्ध रहेगा (जो बिना प्रबंधन की सहमति एवं कार्य को छोड़कर बाहर नहीं जायेगा) एवं संबंधित कार्य संपादित कराने की जवाबदारी ठेकेदार की होगी। कारखानें में आवश्यकता पड़ने पर अन्यत्र भी ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर /लेबर का उपयोग किया जायेगा।
11. बगास फिडिंग कार्य में कम से कम 01 ट्रेक्टर डोजर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
12. कार्य कारखाना के अधिकारियों के निर्देशन में सम्पन्न करना होगा। अनुशासनहीनता पाये जाने पर कार्य से पृथक किया जा सकेगा। 24 घंटे डोजर ट्रेक्टर एवं ट्रेक्टर हाइड्रोलिक ट्राली का कार्य नहीं करने/होने पर

कटौती किया जावेंगा एवं शिफ्ट इंजीनियर/चीफ इंजीनियर के द्वारा लॉग बुक सत्यापन अनुसार ही बिल भुगतान किया जावेगा।

13. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर में किसी भी प्रकार के खर्च के लिए कारखाना भुगतान नहीं करेगा। उक्त समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। प्रत्येक शिफ्ट के लिए ठेकेदार को ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर हेतु ड्रायवर स्वयं को उपलब्ध कराना होगा। ड्रायवर लाइसेंसधारी एवं बीमाकृत होना चाहिये एवं लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न की जायें।
14. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल दूसरी ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
15. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर ड्रायवर का बीमा अनिवार्य रुप से करना होगा एवं उसका वेतन ठेकेदार को देना होगा।
16. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर ट्राली का बीमा होना अनिवार्य है। निविदाकार को कार्य अवधि के दौरान वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं बीमा की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
17. ठेकेदार को कारखाना अधिनियम, श्रम अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
18. कार्य के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
19. कार्य प्रभावित होने की स्थिति में प्रति घंटा 2000.00 आर्थिक दण्ड किया जायेगा, जो भुगतान बिल की राशि से कटौती की जाएगी।
20. पेराई सीजन खत्म होने पर कार्य स्वतः समाप्त माना जावेगा एवं कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण न करने की स्थिति में भुगतान नही किया जायेगा।
21. कारखाना प्रबंधन उपर्युक्त के अलावा भी नियम/शर्ते लागू कर सकेगा जो ठेकेदार को पालन करना अनिवार्य होगा।
22. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
23. ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर ठेकेदार को अधिकारियों के निर्देशन में कार्य सम्पन्न करना होगा। ठेकेदार द्वारा आदेशों की अवहेलना करने/कारखाना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुँचाने या अवांछित गतिविधियों में संलिप्त रहने अथवा कार्य में गुणवत्ता का अभाव पाये जाने की स्थिति में प्रबंधन के निर्देश पर ऐसे ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर ठेकेदार को तत्काल कार्य से पृथक कर उनके स्थान पर नया ट्रेक्टर डोजर/ट्रेक्टर ठेकेदार से कार्य कराया जावेगा। एवं कारखाने द्वारा निर्धारित अमानत राशि को जब्त करते हुये 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।
24. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।

25. प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यादेश निरस्त करने संबंधि पूर्ण अधिकार होगा।
26. ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में प्रबंधन द्वारा बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार का कार्य आदेश निरस्त कर ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जावेगी।
27. कारखाना परिसर में धुम्रपान वर्जित होगा।
28. नशे की हालत में किसी भी श्रमिक का कारखाने में प्रवेश वर्जित रहेगा, यदि किसी भी श्रमिक को नशे की हालत में पाया जाता है तो श्रमिक को कार्य से बाहर कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
29. कार्य आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रबंधन के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा, अनुबंध नहीं करने की दशा में देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
30. कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
31. ठेकेदार को शिफ्ट में कार्यरत मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट/चीफ केमिस्ट/चीफ इंजिनियर के निर्देशन में कार्य करना अनिवार्य होगा।
32. यदि किसी कारण वश फैक्ट्री बंद रहते है तो बंद दिवस को भुगतान नहीं किया जायेगा।
33. कार्य आदेश के 7 दिनों के भीतर कार्य निष्ठा संबंधी अनुबंध कराना आवश्यक होगा।

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं .... फर्म ....प्रतिनिधि का नाम ....पिता का नाम ....पता .... का निवासी हूँ मैं शपथ पूर्वक कथन करना हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड दिया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नही करूंगा।
2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यादेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैनें निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नही किया है और नही कोई अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रंमाक .... में राशि रूपये .... दिनांक ....को संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नही पाया जाता है तो समस्त ई.एम.डी. राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित–बालोद

ई–प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

Main Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

व्यावसायीक भाग–3

ठेका कार्य हेतु प्रस्तावित दर प्रस्तुत करने बाबत्। द्वितीय ई–निविदा क्रं. 68608, दिनांक 28 / 10 / 2020

क्र.	कार्य का विवरण	इकाई दर (प्रतिमाह)	कार्य पूर्ण करने के लिए इच्छुक प्रस्तावित प्रतिमाह राशि दर (कर रहित)
1	कारखाना के आरबीसी एवं समस्त स्थान से बगास को ट्रेक्टर रापा (डीजल सहित) एवं मजदूर से शिफ्टिंग एवं फिडिंग का कार्य करना, लकड़ी फिडिंग का कार्य करना।	(प्रतिमाह)	
2	कारखाना के बॉयलर के समस्त स्थान के राख को शिफ्टिंग ट्रेक्टर ट्राली / हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) एवं मजदूर के माध्यम से कारखाना के शेड से बाहर राख उठाव एवं शिफ्टिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। प्रतिशिफ्ट राख का उठाव करना अनिवार्य होगा।	(प्रतिमाह)	
3	प्रेसमड शिफ्टिंग ट्रेक्टर / हाईड्रोलिक ट्राली (डीजल सहित) एवं मजदूर के माध्यम से उठाव एवं शिफ्टिंग कार्य कारखाना द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा। कार्यों के अनुरूप ट्रेक्टर लगाना अनिवार्य होगा। स्पॉट पर प्रेसमड स्टॉक जाम नहीं होना चाहिए।	(प्रतिमाह)	
4	जेसीबी (डीजल सहित) द्वारा कारखाना के केनयार्ड में एकत्रित गन्ना केन कैरियर पर डालना एवं गाड़ी खाली करना तथा अन्य कार्य कारखाना प्रबंधन के निर्देशानुसार जेसीबी द्वारा पूर्ण करना होगा, 24 घंटे जेसीबी कारखाना में उपलब्ध रहेगा। केन केरियर में जाम की स्थिति पैदा न हो।	(प्रतिमाह)	